# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

**पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस**

दिनांक – 05/07/19

क्र रीडर/2019/1615

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| रूगनाथराम पुत्र लुम्बाराम 2 राजराम पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाडमेर। | | 1 ठाकरराम पुत्र गंगाराम 2 ठाकरराम पुत्र भीखाराम 3 सोनाराम पुत्र सुखाराम 4 मोबताराम पुत्र डूंगरराम 5 बद्रीराम पूराराम 6 दीपाराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाडमेर। |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत**

दिनांक–04.07.19

राजस्व आवेदन संख्या :– 47/2019

## आदेश

**उपर्युक्त**, प्रकरण मौजा बोला पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 627/113 रकबा 12.00, खसरा संख्या 516/113 रकबा 13.00 बीघा खसरा संख्या 441/113 रकबा 70.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
**उपखण्ड अधिकारी,**
**बाड़मेर**

दिनांक– 15/07/19

क्रमांक :– रीडर/2019/1616–19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बोला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. रूगनाथराम पुत्र लुम्बाराम वगैराह जाति कुमावत निवासी रोहिली तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी ठाकरराम पुत्र गंगाराम वगैराह जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाडमेर।

**उपखण्ड अधिकारी,**
**बाड़मेर**

Scanned by CamScanner